न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 29 / 2023
GCMS No. - 2023/103
निर्णय दिनांक : 21.06.2024

1. देवकी नंदन पुत्र घीसाराम जाति खटीक निवासी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र घीसाराम जाति खटीक निवासी रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

................वादीगण

बनाम

1. मुन्नी पत्नी रामअवतार जाति खटीक निवासीनी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. संगीता पत्नी हरी प्रसाद जाति खटीक निवासीनी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. सन्तोष पत्नी जगदीश जाति खटीक निवासीनी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
4. महावीर धर्म कांटा, रणधीसर मालिक विनोद कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
5. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, सुजानगढ़ जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत खातेदारी भूमि विभाजन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल विश्शु एडवोकेट वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की ओर से श्री शंकरलाल जाखड़ एड.।
3. प्रतिवादी संख्या 02 व 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
4. राज पेरोकार उपस्थित।

निर्णय

1. संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग का खेत खसरा संख्या 599 / 487 रकवा 3.0853 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी संख्या 01 का 2530 / 30853 हिस्सा तथा वादी संख्या 02 का 2529 / 30853 हिस्सा नियत है, जिसका वादीगण विभाजन करवाना चाहते हैं।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

2. दावा वादीगण न्यायालय में विचारण किया जाकर दिनांक 06.02.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादीगण के हिस्सा, मौका व कब्जानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

3. बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता ने भी कोई आपति जाहिर नहीं की। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी वादगत भूमि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 599/487 रकबा 3.0853 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में से अपने हिस्से पांति का वादी संख्या 1 देवकीनन्दन 2530/30853 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार 2529/30853 हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार हैं तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भी वादीगण उतने ही हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

4. एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

5. दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 599/487 रकबा 3.0853 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में से वादी संख्या 1 देवकीनन्दन के हिस्से पांति का 2530/30853 हिस्सा खसरा संख्या 599/487 मीन रकबा 0.2530 हैक्टेयर वादी संख्या 2 के चिपते ही उत्तरी तरफ तथा वादी संख्या 2 के हिस्से पांति 2529/30853 हिस्सा खसरा संख्या 599/487 मीन रकबा 0.2529 हैक्टेयर पृथक् खाता तथा लगान कायम कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

6. निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
व इजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

देवकीनन्दन आदि बनाम मुन्नी आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 29 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री मोहनलाल बिरसु एड, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 599/487 रकबा 3.0853 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में से वादी संख्या 1 देवकीनन्दन के हिस्से पांति का 2530/30853 हिस्सा खसरा संख्या 599/487 मीन रकबा 0.2530 हैक्टेयर वादी संख्या 2 के चिपते ही उत्तरी तरफ तथा वादी संख्या 2 के हिस्से पांति 2529/30853 हिस्सा खसरा संख्या 599/487 मीन रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि पृथक् खाता तथा लगान कायम कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। चीज.. मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 **माह 06. 2024**

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनतानाव कीलपर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़